

FAQs

Frequently Asked Questions



- **Is it important to have a working Laptop/Computer to get on board?**

A: Yes.

- **How will the SM pay his registration fees?**

A: SKASH Wallet- Non-Govt SKASH.

- **What is the minimum balance required to be maintained in SKASH?**

A: Rs 250/-.

- **When will the SM get the option of changing the default password?**

A: After paying the Roll-out fees when the Sm will re-log- in the Sahaj Portal.

- **What are Eligibility criteria for the IRCTC agent?**

A: Need a new Mobile no & email ID create for the IRCTC Service. Following conditions must be fulfilled:

- ✓ Mobile no must be linked with Aaadhar .
- ✓ Release PAN if earlier linked with IRCTC.
- ✓ Mobile Set IMEI No. is required.
- ✓ Need to pay Rollout amount.

- **What is the maximum No. of passengers allowed per ticket or Per PNR?**

A: 6 for General Tickets and 4 for Tatkal tickets.

- **What is the maximum time limit up to which TATKAL tickets can be booked?**

A: Up to chart preparation.

- **Can Partial Cancellation be done before charting?**

A: Yes.

- **How many tickets can an SM book in Tatkal Quota?**

A: 1 PNR per train.

- **How many Sr. Citizen passengers are allowed per PNR?**

A: 2

- **What is the refund amount for TATKAL Tickets cancellation?**

A: NO Refund.

- **What is the validity of IRCTC id and OTP?**

A: 1 Year. After 1 year, Sm has to renew both the ids and OTP.

- **From where can an SM file TDR?**

A: Booking History under IRCTC option in Sahaj Portal.

- **What is the process of getting the refund if the VLE cancel any ticket?**

A: There are **three** types of Cancellation

- **Cancelled by SM** [SM gets OTP to verify during cancellation]
- **Waiting List Ticket Auto Cancelled by IRCTC** [PNR, CANID & OTP sent to Customer's mobile number and needs to be verified from IRCTC portal to receive refund]
- **Train is cancelled by IRCTC** [No OTP needs to be verified, refund is received with in 7 working days].

- **Is there any signature on the Digital PAN Card?**

A: NO.

- **How long will it take to get PAN Card via Digital Mode?**

A: 1 Working Day.

- **If anyone applies for Digital PAN Card, can he again apply via a Physical PAN Card mode?**

A: NO.

- **Will the customer receive the hard copy if applied through Digital Mode?**

A: Yes, If the customer selects both the options 'Physical and E-PAN' mode.

- **What should a person do in case he has lost his PAN Card?**

A: Customer can FIR near the police station regarding losing his pan card. After that, he can apply for the CSF form.

- **What are the documents required for a minor PAN Card?**

A: Applicant Aadhar copy & guardian id & address proof copy.

- **If Aadhar Card has only year of birth can the customer apply for PAN Card?**

A: Yes. Provide any other document apart from the Aadhar card.

Accepted documents are: 1. Voter Card. 2. Driving license. 3. Date Of Birth certificate. 4. Madhyamik result / Mark sheet. 5. First Class Magistrate Court Affidavit.

- **If there is a mismatch in the DOB of the Aadhar Card then what will happen?**

A: Upload the Aadhar Card and mention the full DOB in the form. Also, upload the Voter Card.

- **If the customer cannot sign then how can they apply for PAN Card?**

A: Customer will give a Thumb impression in PDF Form which he has downloaded. The sign needs to be attested by a Gazetted Officer. Then SM will upload the form.

- **What is the next process after filling up the form successfully?**

A: CA from tax2win will call the customer on their mobile number within 1-3 days and file the Income Tax Return.

- **What documents need to be taken from a client?**

A: No documents are needed to upload on the portal. However, You can scan and upload the following documents: PAN Card (it should be properly visible) Form 16 (if the client is a salaried person)

- **Does the SM need to keep any documents of the client with himself?**

A: No.

- **What does 'Source of Income' mean on the portal?**

A: It means the sources from where the client is earning his/her income. SM should confirm the same from his client and mark **YES/NO** accordingly.

- **Is it necessary to give bank account details?**

A: Yes. To file ITR, the client has to give bank account details like Bank Name, IFSC, and account number. Uploading the bank statement is not compulsory.

- **How much time does it take for a TDS refund?**

A: Refunds will be deposited directly in your bank account within 40-45 days of return filing.

- **What to do, if ITR is not filed even after making the payment?**

A: The amount will be refunded within 7 working Days. SM can mail at support@sahaj.co.in

- **Where can I get ITR-V?**

A: Either from your registered e-mail id; by calling the support number **18004190250** or by sending a request to support@sahaj.co.in

- **What is the daily transaction limit in Sahaj AEPS Service?**

A: Rs 10,000/- withdrawal per day or 5 no. of transactions; whichever is earlier.

- **What will happen if Amount is deducted but transaction failed?**

A: Money will be reversed within 2hrs in the account.

- **Which biometric devices will be supported for AEPS transactions?**

A: Only Morpho and Mantra are supported for the New Sahaj AEPS service.

- **What are the modes of settlement for AEPS Wallet?**

A: NEFT & IMPS. NEFT is free of cost. IMPS Cost: upto 25K- Rs 2.5/- per Txn. More than 25K- Rs 5/-.

- **Is there any Money Withdrawal limit in Micro ATM?**

A: 1 time swipe or chip-in max. cash withdrawal limit of Rs.10K. Overall cash withdrawal limit will be dependent on the Customer's Bank account type & card variant, i.e. if an account holder can withdraw Rs.1 Lakh for ATM transactions, he can do the same with mATM too in 10 installments of Rs.10k each.

- **If an SM already has a PAXD180 or a Morefun MP63 device, can be on-boarded?**

A: Agents already having existing Pax or Morefun devices cannot be further on-boarded using old devices. They have to purchase readily from us & get on-boarded accordingly.

- **After making a payment for the mATM device, how many days will be required to deliver it to an SM?**

A: Maximum of 5-7 working days will be required. Although for a remote location 1-2 days additionally might be required.

- **What is Coverdrive Registration?**

A: To enable the SM ID for Coverfox insurance, the SM will be required to register himself/herself in Coverdrive. The SM will be required to enter his/her Aadhar Number to get registered.

- **How to register a claim for the Coverfox Insurance?**

A: Customer has to contact the Insurance company to register the claim. The Insurance company's customer support number will be available on the policy paper.

- **What are the documents required for processing a Claim?**

A: The insurance company will inform the customer about the documents required. The information will be available on the policy paper as well.

- **Will there be any physical inspection for the Comprehensive package?**

A: Depends as per company.

- **How to register for Claim?**

A: SM needs to send all the documents(Claim form, NEFT documents, KYC, etc.) to insurance@sahaj.co.in. The Customer/Nominee will not be able to raise the claim directly through HDFC Life.

- **Is it important to get the Policy Holder's signature on the Claim form?**

A: Yes. SM must get the form signed at the time of generating the policy.

- **Will there be any medical check-up?**

A: No. They have to only fill-up health questioner.

- **What is entry age & exit age for HDFC Life?**

A: Entry Age: 18yrs; Exit Age: 55yrs.

- **Can any customer take the policy more than once?**

A: No. "One life; One Policy".

- **What will be the Cancellation Charges for Bus tickets?**

A: It will depend on the Bus operator. SM can view the cancellation charges at the time of booking the ticket.

- **What will be the Cancellation charges?**

A: Cancellation charges will be implied by the Airline Company.

- **Is it mandatory to set Mark Up?**

A: Setting Mark up is important to get the commission.

- **What will happen if SM inputs wrong passenger details for airline tickets?**

A: Customer needs to contact the flight company customer care.

- जन सेवा केंद्र के काम के लिए आपको सहज से कितनी आईडी मिलेगी ?

A: आपको दो आईडी मिलेगी। 1.) सहज आईडी, 2-) ई-डिस्ट्रिक्ट आईडी

- सहज मित्र कैसे बनें ?

A: ऑनलाइन पोर्टल <https://retail.sahaj.co.in/web/guest/home> के जरिए खुद को रजिस्टर करें।

- सहज मित्र बनने की पात्रता क्या होगी ?

A: सहज मित्र बनने के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम 12वीं पास होना आवश्यक है, प्रोस्पेक्ट को पहचान/पते का प्रमाण प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए। प्रोस्पेक्ट के पास एक अच्छा लैपटॉप/डेस्कटॉप होना चाहिए, जिसमें अच्छी इंटरनेट स्पीड हो।

- मैं सहज पोर्टल में खुद को सहज मित्र के रूप में कैसे पंजीकृत करूँ?

A: सहज परिवार का हिस्सा होने के लिए पंजीकरण टैब के तहत नए पंजीकरण में उपलब्ध पंजीकरण फॉर्म को भरकर पंजीकरण करना होगा, पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनकी 16 अंकों की सहज आईडी मिल जाएगी। उन्हें अपने पंजीकृत फोन नंबर और ईमेल आईडी पर आईडी, पासवर्ड और पिन भी प्राप्त होगा।

• क्या सहज मित्र के लिए पंजीकरण के दौरान एक सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रदान करना आवश्यक है?

A: पंजीकरण के दौरान एक सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रदान करना अनिवार्य है क्योंकि दिए गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा।

• नेट कनेक्शन कट जाने की स्थिति में क्या मुझे फिर से पंजीकरण फॉर्म को शुरू से भरने की आवश्यकता है?

A: नया सहज पोर्टल आपको अपने पंजीकरण फॉर्म को उस स्थान से फिर से शुरू करने की अनुमति देता है जहां आपने पिछली बार छोड़ा था। आपको पंजीकरण जारी रखें टैब पर क्लिक करना होगा और पंजीकरण प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए फॉर्म आईडी नंबर प्रदान करना होगा।

• पंजीकरण करने के बाद सहज मित्र आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने में मुझे कितना समय लगेगा?

A: सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद, आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर पिन के साथ तुरंत अपना 16 अंकों का आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा।

• क्या मुझे पंजीकरण के समय अपना केवाईसी विवरण अपलोड करने की आवश्यकता है?

A: हाँ। आपके KYC दस्तावेज़ अनिवार्य हैं और पंजीकरण के दौरान आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी KYC दस्तावेज़ के साथ मेल खानी चाहिए

- एक सामान्य व्यक्ति (पीएस के अलावा) सहज आईडी कैसे ले सकता है?

A: सहज आईडी लेने के लिए रजिस्ट्रेशन टैब के तहत न्यू रजिस्ट्रेशन में उपलब्ध रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको सहज आईडी और पासवर्ड मिलेगा, सहज आईडी एक्टिवेट करने के लिए कई स्कीम कोड उपलब्ध हैं और करने होंगे ऑनलाइन रोलआउट शुल्क का भुगतान करें, इसके लिए अपने जिले के संबंधित एरिया मैनेजर से संपर्क करें।

- सहज पोर्टल में लॉगिन करने की प्रक्रिया क्या है?

A: लॉग इन करने के लिए आपको क्रोम ब्राउजर खोलना होगा, फिर <https://retail.sahaj.co.in/web/guest/home> लिंक डालकर सहज पोर्टल ओपन करें, इसके बाद अपना 16 डिजिट का यूजर आईडी और पासवर्ड डालें, आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा।

- सहज वॉलेट रिचार्ज प्रक्रिया क्या है?

A: सहज वॉलेट रिचार्ज करने के लिए, सबसे पहले आप सहज पोर्टल खोलें, उसके बाद बाएं हाथ की ओर SM " My Business " टैब पर क्लिक करेगा, उसके बाद ड्रॉपडाउन सूची से " SKASH Recharge " विकल्प चुनें, फिर "Wallet Type" की ड्रॉपडाउन सूची से 'Non Govt Skash' विकल्प का चुनाव करे , उसके बाद "Fast Recharge" विकल्प पर क्लिक करें, फिर आपको वह पृष्ठ दिखाई देगा जिसमें एसएम रिचार्ज राशि दर्ज करेगा और पोर्टल रिचार्ज हेतु भुगतान गेटवे मोड में से किसी एक का चयन करेगा। (पेमेंट गेटवे मोड उपलब्ध: 'डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई')

- क्या ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं (आय, जाति, डोमिसाइल आदि) का कार्य करने के लिए सहज और ई-डिस्ट्रिक्ट दोनों पोर्टल खोलना अनिवार्य है?

A: हां, यह अनिवार्य है, ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से एसएम फॉर्म भरेगा और सहज पोर्टल से सेवाओं के लिए शुल्क का भुगतान करेगा।

- सहज पोर्टल में आप किस विकल्प से वॉलेट राशि देख सकते हैं?

A: वॉलेट राशि देखने के लिए आपको 'होम' पर क्लिक करना होगा, फिर 'डैशबोर्ड' विकल्प पर क्लिक करना होगा, वहां आप वॉलेट राशि 'SRL Skash Wallet' पर देख सकते हैं।

- ई-डिस्ट्रिक्ट आईडी मिलने पर आप सबसे पहले क्या करेंगे ?

A: ई-डिस्ट्रिक्ट आईडी मिलने के बाद सबसे पहले आपको अपनी ई-डिस्ट्रिक्ट आईडी का पासवर्ड बदलना होगा, फिर अपनी आईडी की जियो टैगिंग करनी होगी।

- ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में जिओ टैगिंग करने की प्रक्रिया क्या है ?

A: सबसे पहले आपको प्लेस्टोर से ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है 'सीएससी इंफॉर्मेशन अपलोड', फिर इस ऐप के लिए लोकेशन और कैमरा की अनुमति दें, फिर इस ऐप से सेंटर इमेज कैप्चर करें, इसके बाद इमेज को कंप्रेस करें और फिर इमेज को अंतिम रूप से अपलोड करें, उसके बाद यूजर आईडी और ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का पासवर्ड दर्ज करें।

- नागरिकों के लिए आय, जाति, अधिवास प्रमाण पत्र आदि बनवाने के लिए निर्धारित शुल्क क्या है?

A: सभी प्रमाणपत्रों के लिए निर्धारित शुल्क 30 रुपये है जो विजिटिंग कस्टमर से लेना होगा।

• ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल परियोजना के अंतर्गत कौन-कौन सी सेवाएं शामिल हैं?

A: ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत विभिन्न सरकारी सेवाएं शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया URL https://edistrict.up.gov.in/eDistrictup/Services/services_hi.aspx पर जाएं

• ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल खोलने का URL क्या है ?

A: ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा खोलने के लिए आपको क्रोम ब्राउजर पर जाना होगा फिर पोर्टल खोलने के लिए टाइप करें <https://edistrict.up.gov.in/>

• ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को लॉगइन करने की प्रक्रिया क्या है ?

A: ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल लॉगिन करने के लिए, आपको 'ई-डिस्ट्रिक्ट लॉगिन' विकल्प पर क्लिक करना होगा, फिर 'लॉगिन प्रकार का चयन करें' पर क्लिक करें, एक ड्रॉप डाउन सूची आएगी, वहां सीएससी/एडिस्ट्रिक्ट उपयोगकर्ता का चयन करना होगा, और उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा उस पोर्टल में कैप्चा कोड डालें, फिर सबमिट पर क्लिक करें।

- प्रमाणपत्रों की स्थिति की जांच कहां से करें?

A: स्टेटस चेक करने के लिए आपको 'स्टेटस ट्रैकिंग' ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, फिर वहां पर एप्लीकेशन नंबर भरकर एप्लीकेशन की स्थिति देखें।

- आप लंबित आवेदनों की सूची कहां देख सकते हैं ?

A: लंबित आवेदनों की सूची देखने के लिए, आपको 'लंबित आवेदन' पर क्लिक करना होगा, वहां आप प्रमाणपत्र श्रेणियां देख सकते हैं, वहां आप लंबित प्रमाणपत्र देख सकते हैं।

- सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कहां से डाउनलोड कर सकते हैं ?

A: आपको ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के होम पेज पर जाना होगा, वहां सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पीडीएफ दिखाई देगा और वहां आप टैब से डाउनलोड कर सकते हैं।

- नागरिकों के लिए आय, जाति, अधिवास प्रमाण पत्र आदि बनाने के लिए निर्धारित शुल्क क्या है ?

A: सभी प्रमाणपत्रों के लिए निर्धारित शुल्क 30 रुपये है जो विजिटिंग कस्टमर से लिया जाना है।

- फोटो और अन्य दस्तावेज अपलोड करने के लिए तकनीकी विनिर्देश क्या हैं?

A: फोटो का फाइल साइज 50 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए और अन्य दस्तावेजों का साइज 100 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। फोटो और अन्य दस्तावेज स्पष्ट रूप से सुपाठ्य होने चाहिए।

- मैं ऑनलाइन आवेदन कर रहा हूं, मुझे अपने आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए काउंटर पर कौन से दस्तावेज जमा करने होंगे?

A: आपको पासपोर्ट साइज फोटो, स्व-घोषणा प्रमाण पत्र, यूआरएल में उल्लिखित सेवाओं के अन्य सहायक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ भरा हुआ निर्धारित आवेदन पत्र जमा करना होगा:

https://edistrict.up.gov.in/eDistrictup/Services/services_hi.aspx

- 1. अगर मेरे पास वैध आधार संख्या नहीं है तो मैं क्या करूं?

A: पंजीकरण या किसी भी ई-डिस्ट्रिक्ट की सेवाओं को लागू करने के लिए आधार संख्या अनिवार्य नहीं है, आप आईडी के प्रमाण के रूप में राशन कार्ड की कॉपी, चुनाव आईडी कार्ड की कॉपी आदि का उपयोग कर सकते हैं।

- मैं अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति कैसे देख सकता हूँ ?

A: इसे होम पेज यानी <https://edistrict.up.gov.in/> पर 'आवेदन की स्थिति' लिंक से देखा जा सकता है।

- क्या मैं अपलोड किए गए दस्तावेज़ों को संपादित/हटा/अद्यतन कर सकता हूँ ?

A: नहीं, एक बार दस्तावेज़ अपलोड और सबमिट हो जाने के बाद इसे संपादित/हटाया/अपडेट नहीं किया जा सकता है।

- अगर मेरा आवेदन खारिज कर दिया गया है तो मुझे क्या करना चाहिए ?

A: दस्तावेज़ों/प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपको फिर से आवेदन करना होगा क्योंकि एक बार आवेदन संबंधित प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया जाता है; उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अस्वीकृति के कारण के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप जिले के संबंधित अनुमोदन प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।

- यदि मेरा आवेदन निर्दिष्ट दिनों से अधिक समय तक बना रहता है तो मुझे क्या करना चाहिए ?

A: कृपया संबंधित जिले के संबंधित अनुमोदन प्राधिकरण से संपर्क करें।

• यदि मैंने आवेदन जमा करते समय सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं किए तो मेरे आवेदन का क्या होगा ?

A: सत्यापन प्रक्रिया के समय आवश्यक संलग्नक नहीं पाए जाने पर आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

• यदि ई-डिस्ट्रिक्ट सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम पर काम नहीं करता है तो क्या होगा ?

A: या तो आपका ब्राउज़र पुराना है और सिस्टम की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है या आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत धीमा है। ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट को 1024 X 768 के स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन में देखा जाना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आपका ब्राउज़र संस्करण IE 8 या उच्चतर होना चाहिए।

• अगर मैं अपने पंजीकृत खाते का पासवर्ड भूल जाऊं तो क्या करें ?

A: उसके लिए आपको हमारे कस्टमर केयर नंबर, यानी 8388088088 पर सुबह 11:00 बजे से शाम 6:00 बजे के बीच संपर्क करना होगा।

• सेवाओं को लागू करते समय जिला परियोजना में कौन से हिंदी फ़ॉन्ट/हिंदी टाइपिंग उपकरण स्वीकार्य हैं ?

A: ईडिस्ट्रिक्ट मंगल फॉन्ट (यूनिकोड) को हिंदी भाषा समर्थित फॉन्ट के रूप में सपोर्ट करता है। विंडोज 8.1 या उच्चतर संस्करण में गूगल इनपुट टूल में इनबिल्ट हिंदी इनपुट टूल सपोर्ट है।

• यूपी में डोमिसाइल सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या है ?

A: यूपी में एक अधिवास प्रमाण पत्र जीवन भर के लिए मान्य है।

• अधिवास प्रमाण पत्र क्या है ?

A: उत्तर प्रदेश राज्य में एक डोमिसाइल प्रमाण पत्र उस व्यक्ति को जारी किया जाता है, जिसके माता-पिता जिले के स्थायी निवासी हैं, या ऐसे व्यक्ति के लिए जो जिले में कम से कम 3 वर्ष की अवधि से रह रहे हैं।

• अधिवास की आवश्यकता क्यों है ?

A: डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक आवश्यक दस्तावेज है जो यह साबित करता है कि कोई व्यक्ति शहर का निवासी या स्थायी निवासी है। कानून के मुताबिक यह सर्टिफिकेट एक शहर से ही हासिल किया जा सकता है। नौकरी के लिए या विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए आपको अधिवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती है।

• आप ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में राशन कार्ड सेवा कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ?

A: ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में आपको विभागीय एकीकरण सेवा (एकीकृत सेवा) विकल्प पर क्लिक करना होगा, वहाँ आपको कोटा के लिए अनुरोध करना होगा, उसके बाद आप राशन कार्ड सेवा पर काम कर सकते हैं।

- एकीकृत सेवा विकल्प में न्यूनतम और अधिकतम कोटा सीमा क्या होगी ?

A: न्यूनतम कोटा 5 है, अधिकतम कोटा 50 है।

- यूपी में आय प्रमाण पत्र की वैधता क्या है ?

A: आय प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से 3 महीने के लिए वैध है।

- यूपी में आय प्रमाण पत्र के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है ?

A: आवश्यक दस्तावेज- एक व्यक्ति की स्व-घोषणा, फोटो, आधार, निवास प्रमाण, वेतन पर्ची (नियोजित व्यक्ति के मामले में), पहचान पत्र।

- ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में जिओ टैगिंग करने की प्रक्रिया क्या है ?

A: सबसे पहले आपको प्लेस्टोर से ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है 'सीएससी इंफॉर्मेशन अपलोड', फिर इस ऐप के लिए लोकेशन और कैमरा की अनुमति दें, फिर इस ऐप से सेंटर इमेज कैप्चर करें, इसके बाद इमेज को कंप्रेस करें और फिर इमेज को अंतिम रूप से अपलोड करें, उसके बाद यूजर आईडी दर्ज करें और ई-जिला पोर्टल का पासवर्ड।

- फॉर्म भरने के बाद किस विकल्प से भुगतान किया जाएगा ?

A: फॉर्म भरने के बाद, भुगतान के लिए आप सहज skash पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे जिसमें भुगतान करने के लिए पिन और पासवर्ड दर्ज करना होगा।

- राशन कार्ड के लिए आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है ?

A: जी हां, नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

- आवेदन को संसाधित करने के बाद आप प्रमाणपत्र कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ?

A: प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए आपको ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में इनबॉक्स विकल्प पर क्लिक करना होगा, जहां से आप आवेदन संख्या की सहायता से प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

- यूपी में जाति प्रमाण पत्र के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?

A: आवश्यक दस्तावेज- एक व्यक्ति की स्व-घोषणा, फोटो, आधार, निवास प्रमाण, पहचान पत्र, जाति के संबंध में पार्षद / वार्डन / ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र

• यूपी में निवास प्रमाण पत्र के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत है ?

A: आवश्यक दस्तावेज- एक व्यक्ति की स्व-घोषणा, फोटो, आधार, निवास प्रमाण, पहचान पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र यदि शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ।

- ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल क्या है ?

A: यह नागरिकों को सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी के लिए पंजीकृत सीएससी केंद्रों के माध्यम से उनके दरवाजे के निकटतम समयबद्ध और परेशानी मुक्त तरीके से ऑनलाइन वितरण के लिए एक मिशन मोड परियोजना है और नागरिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन किए जाने पर सीधे पंजीकृत खाते में प्राप्त होता है।

- ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल परियोजना के अंतर्गत कौन-कौन सी सेवाएं शामिल हैं ?

A: ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत विभिन्न सरकारी सेवाएं शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया URL https://edistrict.up.gov.in/eDistrictup/Services/services_hi.aspx पर जाएं।

- ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल खोलने का URL क्या है ?

A: ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा खोलने के लिए आपको क्रोम ब्राउजर पर जाना होगा फिर पोर्टल खोलने के लिए टाइप करें <https://edistrict.up.gov.in/> |

• ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को लॉगइन करने की प्रक्रिया क्या है ?

A: ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल लॉगिन करने के लिए, आपको 'ई-डिस्ट्रिक्ट लॉगिन' विकल्प पर क्लिक करना होगा, फिर 'लॉगिन प्रकार का चयन करें' पर क्लिक करें, एक ड्रॉप डाउन सूची आएगी, वहां सीएससी/एडिस्ट्रिक्ट उपयोगकर्ता का चयन करना होगा, और उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा उस पोर्टल में कैप्चा कोड डालें, फिर सबमिट पर क्लिक करें।

• प्रमाणपत्रों की स्थिति की जांच कहां से करें ?

A: स्टेटस चेक करने के लिए आपको 'स्टेटस ट्रैकिंग' ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, फिर वहां पर एप्लीकेशन नंबर भरकर एप्लीकेशन की स्थिति देखें।

• आप लंबित आवेदनों की सूची कहां देख सकते हैं ?

A: लंबित आवेदनों की सूची देखने के लिए, आपको 'लंबित आवेदन' पर क्लिक करना होगा, वहां आप प्रमाणपत्र श्रेणियां देख सकते हैं, वहां आप लंबित प्रमाणपत्र देख सकते हैं।

• सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कहां से डाउनलोड कर सकते हैं ?

A: आपको ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के होम पेज पर जाना होगा, वहां सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पीडीएफ दिखाई देगा और वहां आप टैब से डाउनलोड कर सकते हैं।

• नागरिकों के लिए आय, जाति, अधिवास प्रमाण पत्र आदि बनाने के लिए निर्धारित शुल्क क्या है ?

A: सभी प्रमाणपत्रों के लिए निर्धारित शुल्क 30 रुपये है जो विजिटिंग कस्टमर से लिया जाना है।

• फोटो और अन्य दस्तावेज अपलोड करने के लिए तकनीकी विनिर्देश क्या हैं ?

A: फोटो का फाइल साइज 50 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए और अन्य दस्तावेजों का साइज 100 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। फोटो और अन्य दस्तावेज स्पष्ट रूप से सुपाठ्य होने चाहिए।

• मैं ऑनलाइन आवेदन कर रहा हूं, मुझे अपने आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए काउंटर पर कौन से दस्तावेज जमा करने होंगे?

A: आपको पासपोर्ट साइज फोटो, स्व-घोषणा प्रमाण पत्र, यूआरएल में उल्लिखित सेवाओं के अन्य सहायक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ भरा हुआ निर्धारित आवेदन पत्र जमा करना होगा: https://edistrict.up.gov.in/eDistrictup/Services/services_hi.aspx

- 1. अगर मेरे पास वैध आधार संख्या नहीं है तो मैं क्या करूँ ?

A: पंजीकरण या किसी भी ई-डिस्ट्रिक्ट की सेवाओं को लागू करने के लिए आधार संख्या अनिवार्य नहीं है, आप आईडी के प्रमाण के रूप में राशन कार्ड की कॉपी, चुनाव आईडी कार्ड की कॉपी आदि का उपयोग कर सकते हैं।

- मैं अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति कैसे देख सकता हूँ ?

A: इसे होम पेज यानी <https://edistrict.up.gov.in/> पर 'आवेदन की स्थिति' लिंक से देखा जा सकता है।

- क्या मैं अपलोड किए गए दस्तावेज़ों को संपादित/हटा/अद्यतन कर सकता हूँ ?

A: नहीं, एक बार दस्तावेज़ अपलोड और सबमिट हो जाने के बाद इसे संपादित/हटाया/अपडेट नहीं किया जा सकता है।

- अगर मेरा आवेदन खारिज कर दिया गया है तो मुझे क्या करना चाहिए ?

A: दस्तावेज़ों/प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपको फिर से आवेदन करना होगा क्योंकि एक बार आवेदन संबंधित प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया जाता है; उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अस्वीकृति के कारण के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप जिले के संबंधित अनुमोदन प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।

• यदि मेरा आवेदन निर्दिष्ट दिनों से अधिक समय तक बना रहता है तो मुझे क्या करना चाहिए ?

A: कृपया संबंधित जिले के संबंधित अनुमोदन प्राधिकरण से संपर्क करें।

• यदि मैंने आवेदन जमा करते समय सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं किए तो मेरे आवेदन का क्या होगा ?

A: सत्यापन प्रक्रिया के समय आवश्यक संलग्नक नहीं पाए जाने पर आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

• यदि ई-डिस्ट्रिक्ट सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम पर काम नहीं करता है तो क्या होगा ?

A: या तो आपका ब्राउज़र पुराना है और सिस्टम की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है या आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत धीमा है। ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट को 1024 X 768 के स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन में देखा जाना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आपका ब्राउज़र संस्करण IE 8 या उच्चतर होना चाहिए।

• अगर मैं अपने पंजीकृत खाते का पासवर्ड भूल जाऊं तो क्या करें ?

A: उसके लिए आपको हमारे कस्टमर केयर नंबर, यानी 8388088088 पर सुबह 11:00 बजे से शाम 6:00 बजे के बीच संपर्क करना होगा।

• सेवाओं को लागू करते समय जिला परियोजना में कौन से हिंदी फ़ॉन्ट/हिंदी टाइपिंग उपकरण स्वीकार्य हैं ?

A: ईडिस्ट्रिक्ट मंगल फॉन्ट (यूनिकोड) को हिंदी भाषा समर्थित फॉन्ट के रूप में सपोर्ट करता है। विंडोज 8.1 या उच्चतर संस्करण में गूगल इनपुट टूल में इनबिल्ट हिंदी इनपुट टूल सपोर्ट है।

• यूपी में डोमिसाइल सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या है ?

A: यूपी में एक अधिवास प्रमाण पत्र जीवन भर के लिए मान्य है।

• अधिवास प्रमाण पत्र क्या है ?

A: उत्तर प्रदेश राज्य में एक डोमिसाइल प्रमाण पत्र उस व्यक्ति को जारी किया जाता है, जिसके माता-पिता जिले के स्थायी निवासी हैं, या ऐसे व्यक्ति के लिए जो जिले में कम से कम 3 वर्ष की अवधि से रह रहे हैं।

• अधिवास की आवश्यकता क्यों है ?

A: डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक आवश्यक दस्तावेज है जो यह साबित करता है कि कोई व्यक्ति शहर का निवासी या स्थायी निवासी है। कानून के मुताबिक यह सर्टिफिकेट एक शहर से ही हासिल किया जा सकता है। नौकरी के लिए या विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए आपको अधिवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती है।

• आप ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में राशन कार्ड सेवा कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ?

A: ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में आपको विभागीय एकीकरण सेवा (एकीकृत सेवा) विकल्प पर क्लिक करना होगा, वहां आपको कोटा के लिए अनुरोध करना होगा, उसके बाद आप राशन कार्ड सेवा पर काम कर सकते हैं।

• एकीकृत सेवा विकल्प में न्यूनतम और अधिकतम कोटा सीमा क्या होगी ?

A: न्यूनतम कोटा 5 है, अधिकतम कोटा 50 है।

• यूपी में आय प्रमाण पत्र की वैधता क्या है ?

A: आय प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से 3 महीने के लिए वैध है।

• यूपी में आय प्रमाण पत्र के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है ?

A: आवश्यक दस्तावेज- एक व्यक्ति की स्व-घोषणा, फोटो, आधार, निवास प्रमाण, वेतन पर्ची (नियोजित व्यक्ति के मामले में), पहचान पत्र।

• जियो टैगिंग क्या है ?

A: जियो टैगिंग स्थान को ट्रैक करने के लिए स्थान और तस्वीर जैसे भौगोलिक निर्देशांकों को जोड़ने की प्रक्रिया है।

• ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में जिओ टैगिंग करने की प्रक्रिया क्या है ?

A: सबसे पहले आपको प्लेस्टोर से ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है 'सीएससी इंफॉर्मेशन अपलोड', फिर इस ऐप के लिए लोकेशन और कैमरा की अनुमति दें, फिर इस ऐप से सेंटर इमेज कैप्चर करें, इसके बाद इमेज को कंप्रेस करें और फिर इमेज को अंतिम रूप से अपलोड करें, उसके बाद यूजर आईडी दर्ज करें और ई-जिला पोर्टल का पासवर्ड।

• फॉर्म भरने के बाद किस विकल्प से भुगतान किया जाएगा ?

A: फॉर्म भरने के बाद, भुगतान के लिए आप सहज skash पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे जिसमें भुगतान करने के लिए पिन और पासवर्ड दर्ज करना होगा।

• राशन कार्ड के लिए आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है ?

A: जी हां, नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

• आवेदन को संसाधित करने के बाद आप प्रमाणपत्र कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ?

A: प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए आपको ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में इनबॉक्स विकल्प पर क्लिक करना होगा, जहां से आप आवेदन संख्या की सहायता से प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

• यूपी में जाति प्रमाण पत्र के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है ?

A: आवश्यक दस्तावेज- एक व्यक्ति की स्व-घोषणा, फोटो, आधार, निवास प्रमाण, पहचान पत्र, जाति के संबंध में पार्षद / वार्डन / ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र।

• यूपी में निवास प्रमाण पत्र के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत है ?

A: आवश्यक दस्तावेज- एक व्यक्ति की स्व-घोषणा, फोटो, आधार, निवास प्रमाण, पहचान पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र यदि शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

*Thank
you!*